लैंगिक असमानता सूचकांक 2022

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूएनडीपी ने 13 मार्च 2024 को मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 2021 की तुलना में 14 रैंक का महत्वपूर्ण सुधार आया है।
- लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत का स्कोर 0.490 था और तब वह 191 देशों में से 122वें स्थान पर था।
- लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई है, जो पिछले 10 वर्षों में देश में लैंगिक समानता हासिल करने में प्रगतिशील सुधार का संकेत देती है। वर्ष 2014 में भारत की रैंक 127 थी जो अब 108 हो गई है।
- महिलाओं के लिए दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास और नीतिगत पहल के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के कारण रैंक में सुधार हुआ है।
- रिपोर्ट के अनुसार सरकार की पहल बालिका शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता विकास और कार्यस्थल को लैंगिक सुगम बनाने जैसे कदम ने महिलाओं के जीवनशैली को बेहतर किया है।

लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में

- लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index-GII) यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का एक माप है। कम जीआईआई मान लैंगिक अंतराल के छोटे अंतर को इंगित करता है, जबकि उच्च मान बड़े अंतर को इंगित करता है।
- लैंगिक असमानता सूचकांक को मापने के लिए तीन आयामों का उपयोग किया जाता है - प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाज़ार में भागीदारी|
- यह इन आयामों में पुरुष और महिला उपलब्धियों के बीच असमानता के परिणामस्वरूप संभावित मानव विकास में होने वाले नुकसान का आकलन करता है।
- सूचकांक 0 यह दर्शाता है कि सभी मापे गए आयामों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है, और 1 यह दर्शाता है कि सभी मापे गए
- आयामों में एक लिंग के साथ यथासंभव खराब व्यवहार किया जाता है।

पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 14 मार्च 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने रांची में देश की पांचवीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

- रांची में नई लैब बनने से पूर्वी भारत में मीठी क्रांति का आगाज हुआ और इससे पूर्वी भारत हनी हब के रूप में विकसित होगा, शहद उत्पादकों को घरेलू बाजार में विस्तार व निर्यात के अवसर मिलेंगे, उनकी प्रगति होगी।
- वर्तमान में हनी टेस्टिंग लैब एनडीडीबी आणंद (गुजरात), आईएआरआई पूसा दिल्ली, आईआईएचआर बेंगलुरू एवं आईबीडीसी हरियाणा में स्थापित हैं।

मीठी क्रांति और शहद मिशन क्या है?

- मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसे 'मधुमक्खी पालन' के नाम से जाना जाता है।
- इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित

उत्पादों के उत्पादन में तेज़ी लाना है।

- गौरतलब है कि मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक बड़े कारक के रूप में उभरा है। इस मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित करेगा, बीमारियों को रोकेगा या मधुमक्खी कालोनियों के नुकसान को रोकेगा तथा मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा प्रदान करेगा।
- शहद मिशन को वर्ष 2017 में 'मीठी क्रांति' के अनुरूप लॉन्च किया गया था। मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC किसानों या मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी पालन उपकरण, शहद निष्कर्षण एवं मोम शोधन, मधुमक्खी के रोगों की पहचान और प्रबंधन से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है|

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में देश में एक साथ चुनाव करये जाने के संदर्भ में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया था।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु

- सभी सुझावों और दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए दो-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर हो जाएं।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तीनों स्तरों के चुनावों में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होना चाहिए।
- एक साथ चुनाव कराये जाने की संभावनाओं की पड़ताल करने और संविधान के मौजूदा प्रारूप को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार की हैं कि वे संविधान की भावना के अनुरूप हैं तथा उसके लिए संविधान में संशोधन करने की नाममात्र जरूरत है।
- इसकी सिफारिशों से मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, हमारा लोकतांत्रिक ताना-बाना मजबूत होगा और भारत की आकांक्षाओं को साकार रूप प्राप्त होगा।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One nation One election- ONOE) की संकल्पना क्या है?

- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष पर सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के आम चुनावों के साथ-साथ संपन्न होंगे।
- एक साथ चुनाव कराने का विचार, भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संरचित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एवं निश्चित समय के भीतर हों, ताकि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए और चुनावों की आवृत्ति को कम किया जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
- यह विचार वर्ष 1983 से ही अस्तित्व में है, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित कराना एक सामान्य परिदृश्य रहा था। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभाओं और लोकसभाओं के बार-बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर हो गया।
- वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनावों पर जारी मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, एक राष्ट्र एक चुनाव के अभ्यास से सार्वजनिक धन की बचत की जा सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन होगा तथा चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधार किये जा

सकेंगे।

- लोकसभा के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित कराये गए थे। यह प्रक्रिया वर्ष 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले तीन आम चुनावों में भी जारी रहा। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) की विधानसभाओं के चुनाव ही लोकसभा चुनावों के साथ होते हैं।

NIA के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS) का उद्घाटन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम (CCMS) का उद्घाटन किया।
- इसके अलावा केन्द्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और केरल स्थिति NIA के दो ब्रांच ऑफिस और रायपुर में एक आवासीय परिसर का ई-उद्घाटन भी किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- नई CCMS प्रणाली NIA को आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर तालमेल करने में सक्षम बनाएगी जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार आएगा। CCMS के विशेष प्रकार के नए वर्जन को NIA ने उपयोग करने वालों के अनुकूल, आसानी से तैनात होने वाले एवं कस्टमाइज करने लायक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया है।
- इससे राज्य के पुलिस बलों को जांच के दौरान एकत्रित डेटा, जैसे- केस से जुड़े दस्तावेज़, एकत्र किए गए साक्ष्य और अदालत में पेश आरोप-पत्रों को व्यवस्थित, एकीकृत करने और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2023 में आयोजित 'आतंकवाद निरोधी सम्मेलन' के दौरान गृह मंत्री ने देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने पर ज़ोर दिया था, जो राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों को सही तरीके और तालमेल के साथ जांच पूरी करने में सक्षम बनाए।

- CCMS राज्य पुलिस के आतंकवाद-निरोधक दस्तों सहित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देगा। यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों, दोनों द्वारा मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करके पर्यवेक्षण को बढ़ावा देगा।
- यह NIA और राज्य पुलिस बलों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप में औपनिवेशिक युग के बाद बनाए गए नए क्रिमिनल कोड को लागू करने के लिए तैयार होने में भी मदद करेगा।
- इस अवसर पर गृह मंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर NCRB के मोबाइल ऐप 'संकलन' को भी लॉन्च किया। तीन परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों को नेविगेट करने के लिए, एनसीआरबी ने पुराने और नए कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में डिज़ाइन किए गए "संकलन" ऐप को तैयार किया है।
- यह ऐप एक कॉम्प्रिहेन्सिव गाइड के रूप में कार्य करेगा, जो पुराने और नए कानूनी प्रावधानों की विस्तार से तुलना करने में सक्षम है। हमारे देश की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 'संकलन' ऐप को ऑफ़लाइन मोड में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसकी उपलब्धता सुदूर इलाकों में भी सुनिश्चित की गई है, ताकि सभी हितधारकों को हर समय वांछित जानकारी प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) क्या है?

- NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करता है।
- इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनज़र, NIA की स्थापना 31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया।
- इसका उद्देश्य जांच के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का

उपयोग करके अनुसूचित अपराधों की गहराई से पेशेवर जांच करना और ऐसे मानक स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनआईए को सौंपे गए सभी मामलों का पता लगाया जा सके|

भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो, थाई उपप्रधान मंत्री और विदेश मंत्री पारनप्री बहिधा-नुकारा के साथ भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के साझेदार मंत्रियों के साथ वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, आईपीईएफ भागीदारों ने नवंबर 2023 में हुई बैठक में प्रस्तावित आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते और आईपीईएफ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा के साझेदारों ने 24 फरवरी 2024 से आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लागू होने का स्वागत किया।
- आईपीईएफ भागीदारों ने अगले कई महीनों में फ्रेमवर्क के अंतर्गत ठोस परिणाम देने के लिए अगले कदमों पर भी चर्चा की। इसमें स्वच्छ अर्थव्यवस्था स्तंभ के अंतर्गत प्रयास की कई नई लाइनें शामिल हैं, जिसमें चार नए सहकारी कार्य कार्यक्रमों (सीडब्ल्यूपी) का शुभारंभ की घोषणा की गई|
- कार्बन बाजारों पर, इच्छुक आईपीईएफ साझेदार शुरू में मौजूदा क्षेत्रीय कार्बन बाजार की प्राथमिकताओं को समझने और सहयोग के लिए सक्षम स्थितियों में सुधार के लिए रणनीतियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं;
- इच्छुक आईपीईएफ साझेदार सार्वजनिक-निजी सहयोग सहित इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और डीकार्बोनाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वच्छ बिजली वृद्धि पर भी काम कर रहे हैं;
- रोजगार सृजन और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में रोजगार बदलाव को संबोधित करने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए, इच्छुक आईपीईएफ भागीदार स्वच्छ अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में उचित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल विकास प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं; एवं
- इच्छुक आईपीईएफ भागीदार टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) और उसके कच्चे माल (फीडस्टॉक्स) की उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए टिकाऊ विमानन ईंधन (सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल -एसएएफ) पर सहयोग करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय एसएएफ मूल्य श्रृंखलाओं को उत्प्रेरित और विकसित किया जा सके।

- इस समझौते के कार्यान्वयन पर, स्वच्छ अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत में आवक निवेश बढ़ने, कम लागत वाली जलवायु प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा मिलने, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की सुविधा के साथ ही भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर प्रदान करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) के बारे में

- भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचे (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) को मई 2022 में शुरू किया गया था, जिसमें 14 क्षेत्रीय साझेदारों - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम को आर्थिक सहयोग के एक नए के अंतर्गत मॉडल एक साथ लाया गया था।
- नवंबर 2023 में, आईपीईएफ के भागीदारों ने प्रस्तावित आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौतों के साथ-साथ ढांचे के स्थायित्व को सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए आईपीईएफ पर एक प्रस्तावित व्यापक समझौते पर वार्ता के पर्याप्त निष्कर्ष की घोषणा की और आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लिए एक हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया।